

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 1119 / F-2016-04-03198 / ब-4 / चार,
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 22 / 10 / 2016

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- माह अक्टूबर, 2016 का वेतन आहरण करने बाबत

—000—

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-एक के सहायक नियम 206 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि माह अक्टूबर, 2016 के वेतन भत्ते का भुगतान दिनांक 26 एवं 27 अक्टूबर, 2016 को किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
विशेष सचिव

पृष्ठांक 1120 / F-2016-04-03198 / ब-4 / चार, नया रायपुर, दिनांक 22 / 10 / 2016
प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, महानदी भवन, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, इन्द्रावती खण्ड, पुराना मंत्रालय, परिसर, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
14. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. छत्तीसगढ़ रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नया रायपुर
20. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु


(आनंद मिश्रा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी